कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर आयुक्तालय

प्रेस–नोट

दिनांकः– 28.10.2025

भारतीय साइबर अपराध समन्व केन्द्र–आई4सी, दिल्ली के निर्देशानुसार बढते साइबर अपराध को प्राथमिकता देते हुवे अक्टुबर 2025 को वैश्विक स्तर पर "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह" मनाने के संबंध में श्रीमान महानिदेश पुलिस जयपुर, श्रीमान महानिदेशक पुलिस एनसीआईबी एवं साइबर काईम जयपुर, श्रीमान ओमप्रकाश पासवान पुलिस आयुक्त जोधपुर, श्रीमान शाहीन सी पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर आयुक्त, श्रीमान धन्नाराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध जोधपुर आयुक्तलय के आदेशानुसार साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा उपायो के प्रचार–प्रसार एवं आमजन को साइबर अपराध से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश करने के लिए बमाह अक्टुबर 2025 में शिक्षा विभाग, वन विभाग, पंचायती राज आदि के साथ अभियान चलाने के आदेश प्राप्त हुवे।

मन् एसीपी पुष्पेन्द्र सिंह पुलिस थाना साइबर जोधपुर आयुक्तालय मय साइबर थाना स्टाफ द्वारा दिनांक 27.10.2025 को शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) जोधपुर में श्रीमती संगीता सतर्कता अधिकारी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के समन्वय स्थापित कर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में साइबर अवयरनेंस प्रोग्राम आयोजित किया जाकर करीब 200 अधिकारी/कर्मचारीयो व दिनांक 28.10.2025 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जोधपुर में श्रीमती आशा माथूर, लेक्चरार, शैक्षणिक प्रोद्योगिक डाइट जोधपुर, श्रीमती मंजू शर्मा प्रधानाचार्य डाइट जोधपुर से समन्वय स्थापित कर वी0सी (दो सैशन) के माध्यम से जिला जोधपुर शहर/ग्रामीण व जिला फलौदी की 200 शैक्षिक संस्थानो/विद्यालयो से जुड़कर विद्यार्थीयो/शिक्षकों को सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सुरक्षा उपायो का प्रचार–प्रसार व साइबर अपराध से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) जोधपुर में आयोजित साइबर अवयरनेंस प्रोग्राम के छायाचित्र–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जोधपुर में आयोजित साइबर अवयरनेंस प्रोग्राम के छायाचित्र–

जोधपुर आयुक्तालय पुलिस द्वारा समय–समय पर साइबर अवयरनेंस प्रोग्राम चलाए जाकर आम लोगो में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। किसी के साथ साइबर संबंधित अपराध घटित होने पर तुरन्त साइबर हैल्पलाईन नम्बर–1930 या **https://cybercrime.gov.in/** पर शिकायत दर्ज करे/करावे या नजदीकि पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करावें।